न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 582/2023/जौनपुर
सूर्यभान बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 03/02/2023

निर्णय

लालसर कृषक जन कल्याण ट्रस्ट टकटेउवा, रामपुर, जनपद मऊ जरिये प्रबन्धक सूर्यभान पुत्र स्व0 शिवदान के द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने हेतु धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत यह वाद ग्राम तरहटी, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर की आराजी संख्या 45क/0.696 हे0 अपना सम्पूर्ण अंश को अकृषिक घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में चकबन्दी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जनपद जौनपुर व तहसीलदार मछलीशहर से नियमानुसार आख्या आहूत किया गया। जाचोपरांत चकबन्दी अधिकारी/बंदोबस्त अधिकारी जौनपुर की आख्या दिनांक 11.01.2023 तथा तहसीलदार मछलीशहर की आख्या दिनांक 20.01.2023 प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, चकबन्दी अधिकारी/बंदोबस्त अधिकारी जौनपुर की आख्या दिनांक 11.01.2023 तथा तहसीलदार मछलीशहर की आख्या दिनांक 20.01.2023 का अवलोकन किया। आख्या के अवलोकन से विदित है कि ग्राम तरहटी, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जौनपुर की आराजी संख्या 45क/0.696 हे0 अभिलेख में ब लालसर कृषक जन कल्याण ट्रस्ट टकटेउवा, रामपुर, जनपद मऊ जरिये प्रबन्धक सूर्यभान पुत्र स्व0 शिवदान के नाम अंकित है। उक्त आराजी पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर कालेज का निर्माण कार्य हो रहा है व मौके पर बिल्डिंग बनी हुई है। उक्त आराजी चकबंदी प्रक्रिया से बाहर है। इसका चकबंदी प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य कोई सहखातेदार नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी व तहसीलदार मछलीशहर द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रफल को अकृषिक घोषणा करने की संस्तुति की गयी है। आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गाटा 45क/0.696 हे0 में मौके पर कालेज का निर्माण कार्य हो रहा है, जो अकृषिक कार्य में प्रयुक्त है। वादी द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रफल के मूल्यांकन रु0 3830000 का एक 1% रु0 38300 का न्यायशुल्क के रूप में न्यायिक स्टाम्प दाखिल किया गया है तथा 1% रु0 38300 उद्घोषणा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसका चालान संख्या ए.के.00007 है। शपथ पत्र, स्थल फोटो आदि प्रपत्र भी पत्रावली में दाखिल है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि विवादित गाटा अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त है। वादी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा/दाखिल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जौनपुर व तहसीलदार मछलीशहर की आख्यानुसार विवादित गाटा को अकृषिक प्रयोजन में घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर ग्राम तरहटी, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर स्थित गाटा संख्या 45क/0.696 हे0 अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त होने के कारण कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त गैर कृषिक घोषित किया जाता है। मुताबिक परता लगान निरस्त हो। विवादित गाटा के भौमिक स्थिति के सम्बंध में इसके विपरीत कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जौनपुर, तहसीलदार मछलीशहर व उपनिबंधक मछलीशहर को आवश्यक कार्यवाही/अभिलेखों में प्रख्यापन हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश कुमार)

उपजिलाधिकारी,

मछलीशहर, जौनपुर।

Scanned with CamScanner